



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 662] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 1989/आश्विन 21, 1911
NO. 662] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 1989/ASVINA 21, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1989

का.आ. 820 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, स्वायत्त औषध एवं नाइकोटिनिक पदार्थ अवैध
व्यापार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का 46) की धारा 3 की उपधारा (1)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व
विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 925(अ) तारीख 6 अक्तूबर 1988 के अधिनियम

में श्री महेश्वर प्रसाद, संयुक्त सचिव, भारत सरकार को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से अधिकार देती है।

[फा.सं. 771/10/89-सी. नं. 8]

रमेश कुमार अवर सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 13th October, 1989

S.O. 820 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 925 (E) dated 6th October, 1988, the Central Government hereby specially empowers Shri Mahendra Prasad, Joint Secretary to the Government of India for the purpose of the said Act.

[F. No. 771/10/89-Cus. VIII]

RAMESH KUMAR, Under Secy.